

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखीमपुर/गोला जनपद खीरी

पत्र सं०:-एफ0एस0/अ0सु0व्य0/निरी0/2017

दिनांक.....

सेवा में,

स्वामी/प्रबंधक

पित्तल-ल मुकेशमी
वाक 011 215 गोला

जनपद-खीरी

विषय:- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता की प्रमाणीकरण के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपके पत्र सं०.....

दिनांक:-.....

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 07.. अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या 1120 (1)/आठ दिनांक 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 700.. भारतीय स्टेट बैंक शाखा लखीमपुर/गोला जनपद खीरी में चालान सं० 12.. दिनांक 25/10/17.. द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद होने के उपरांत 07.. अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशरों का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ABC टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर -	419	06	कार्यशील
2	ABC	4319	01	कार्यशील
3				

इस प्रकार आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार पायी गयी है। अतः प्रतिष्ठान स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है। शेष सुरक्षा व्यवस्था मानकों के अनुसार वांछनीय होगी तथा समय समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबंधक/स्वामी का होगा। उपरोक्तानुसार पालन न करने की दशा में निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

नोट:- इस प्रमाण पत्र को भवन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।

आर.के. सिंह
अग्निशमन अधिकारी
लखीमपुर/गोला
जनपद खीरी

के.पी. सिंह
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद खीरी